न्यूज़ टुडे

आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (WHO GCTM) की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते (Host Country Agreement) पर हस्ताक्षर किए

- **WHO GCTM** (अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र) की स्थापना **जामनगर (गुजरात)** में की जाएगी। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और सुदूर स्थित एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा।
  - इस केंद्र का लक्ष्य **आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दुनिया भर में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का उचित दोहन करना है।** इससे दुनिया भर लोगों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।
- **GCTM के लाभ:**
  - इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और इसके उत्पादों के संबंध में साक्ष्य आधारित, **ठोस नीतियां बनाने और मानक तैयार में मदद मिलेगी।**
  - इससे देशों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में **पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और इसके उत्पादों को उचित रूप से शामिल करने में मदद मिलेगी।**
  - यह सर्वोत्तम और संधारणीय प्रभाव के लिए **पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने में मदद करेगा।**
  - यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए **साक्ष्य आधार को मजबूत करने हेतु विज्ञान का उपयोग करने में मदद करेगा।**
- **ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक चिकित्सा क्या है?**
  - WHO के अनुसार, इसका आशय स्वास्थ्य देखभाल या उपचार के लिए, विश्व के अलग–अलग संस्कृतियों के **देशज सिद्धांतों, पारंपरिक ज्ञान, मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित चिकित्सीय ज्ञान, कौशल और चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग** से है। इनका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में तथा शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों की रोकथाम, डायग्नोसिस, इलाज या उपचार में किया जाता है।
  - इसके दायरे में **प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां** जैसे कि एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदिक चिकित्सा, हर्बल मिश्रण आधारित चिकित्सा, और साथ ही **आधुनिक चिकित्सा** भी शामिल हैं।
- **भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली:**
  - इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष/ AYUSH) और सोवा रिग्पा शामिल हैं।
- **भारत में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:**
  - इसके लिए **राष्ट्रीय आयुष मिशन** आरंभ किया गया है।
  - **योग से जुड़े पेशेवरों के स्वैच्छिक प्रमाणन के लिए एक योजना** आरंभ की गयी है।
  - **योग प्रमाणन बोर्ड (Yoga Certification Board: YCB)** की स्थापना की गयी है।
  - **आयुष सूचना प्रकोष्ठ (AYUSH Information Cell)** की स्थापना की गयी है, आदि।

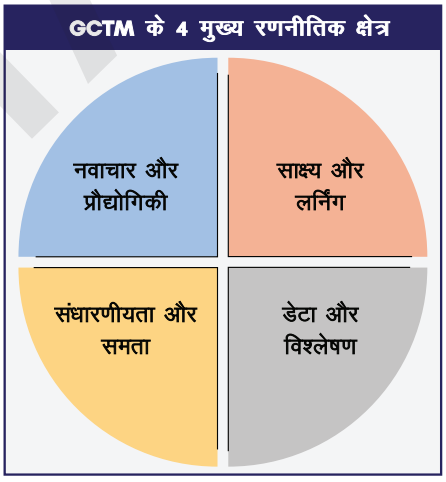

ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ (GBR) में "व्यापक विरंजन (mass bleaching)" की पुष्टि की है

- एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ, एक **"व्यापक विरंजन घटना" (mass bleaching event)** का सामना कर रही है। वर्ष 2016 से ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन की यह **चौथी घटना** है। ग्रेट बैरियर रीफ **दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली** है।
  - इससे पहले हीटवेव (लू) के कारण ग्रेट बैरियर रीफ को **वर्ष 2016, 2017 और 2020** में तीन व्यापक विरंजन घटनाओं का सामना करना पड़ा था।
- ग्रेट बैरियर रीफ, **ऑस्ट्रेलिया के उत्तर–पूर्वी तट** से संलग्न है और लगभग 2,300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है।
  - इसके "अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य" के कारण इसे वर्ष 1981 में **वर्ल्ड हेरिटेज एरिया** घोषित किया गया था।
  - ग्रेट बैरियर रीफ की संरचना **कोरल पॉलीप्स (coral polyps) नामक अरबों अत्यंत छोटे जीवों से बनी हुई** है।
- प्रवाल विरंजन की घटना मुख्य रूप से **समुद्र के तापमान में अधिक वृद्धि** के कारण घटित होती है। इससे स्वस्थ प्रवाल पर दबाव पड़ने लगता है। इसके परिणामस्वरूप प्रवाल अपने **ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं,** जिससे प्रवाल का रंग सफ़ेद हो जाता है।
  - वर्तमान प्रवाल विरंजन घटना की खास बात यह है कि यह ऐसे समय में घटित हो रही है, जब ऑस्ट्रेलिया में ला नीना का प्रभाव देखा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि ला नीना **समुद्री जल को ठंडा करने वाली एक भौगोलिक परिघटना है।**
- **प्रवाल भित्ति या प्रवाल / मूंगा / कोरल के बारे में:**
  - प्रवाल भित्तियाँ अत्यंत छोटे व नरम शरीर वाले अकशेरुकी (invertebrate) जीवों की बड़ी कॉलोनी होती हैं। इन जीवों को कोरल पॉलीप्स कहते हैं। ये जीव **जूजैंथिली (Zooxanthellae) नामक छोटे शैवाल** जैसे सजीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं।
  - **कोरल पॉलीप्स,** पोषक तत्वों के बदले में जूजैंथिली को संरक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही, जूजैंथिली भी प्रवालों को **अलग–अलग रंग** प्रदान करते हैं।
- **भारत में 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं:**
  - मन्नार की खाड़ी,
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
  - लक्षद्वीप द्वीप समूह, और
  - कच्छ की खाड़ी।

- प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी पर मौजूद सर्वाधिक **जैव विविधतापूर्ण और उत्पादक पारितंत्रों में से एक हैं।**
- ये तटरेखाओं के लिए प्राकृतिक अवरोधक (नेचुरल बैरियर्स) के रूप में कार्य करते हैं। ये तटों को तूफान, हरिकेन और चक्रवात से होने वाले नुकसान और बाढ़ से बचाते हैं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें भी अपनी सीमाओं के भीतर किसी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि, जिन राज्यों में **हिंदू या अन्य समुदाय कम संख्या में मौजूद हैं,** वे अपने यहाँ ऐसे समुदाय या समुदायों को **अल्पसंख्यक** घोषित कर सकते हैं। इस कदम से ऐसे समुदायों को अपनी भाषा या धर्म से जुड़े संस्थानों की स्थापना और देख–रेख करने का अधिकार मिल सकेगा।
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जवाब दिया है। दरअसल इस याचिका में **कुछ राज्यों (मिजोरम, पंजाब आदि) में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग** की गई है। इस याचिका पर जवाब देते समय केंद्र ने **वर्ष 2002 में टी. एम. ए. पाई केस** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और उसके तहत निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया है।
  - **टी. एम. ए. पाई वाद (TMA Pai Case):** इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 30 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यवार मान्यता दी जानी चाहिए।
- केंद्र ने स्पष्ट किया है कि संविधान के तहत, **संसद और राज्य विधान–मंडलों, दोनों के पास "अल्पसंख्यकों और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की समानांतर शक्तियां हैं।"**
- वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** की **धारा 2(c)** के तहत **अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक** माना जाता है।
  - **इसके तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन** समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में प्रावधान

- हालांकि, **संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं** किया गया है, **लेकिन अनुच्छेद 29, 30 और 350A में इस शब्द का उल्लेख** किया गया है।
- **अनुच्छेद 29 "अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण"** से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 30 "अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और देख–रेख करने के अधिकार"** से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 350B में राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान** किया गया है। इस अधिकारी का कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) का अनावरण किया

- हाल ही में, UAE में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात ने CEPA को अंतिम रूप देने की घोषणा की। इसके **1 मई 2022 से लागू होने की उम्मीद है।**
  - इस समझौते पर **फरवरी 2022** में आयोजित भारत–UAE वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान **हस्ताक्षर किए गए थे।**
  - भारत ने पिछले दस साल में किसी भी दूसरे देश के साथ ऐसे **व्यापक और पूर्ण FTA (मुक्त व्यापार समझौता) को अंतिम रूप नहीं दिया था।** इस प्रकार यह पिछले एक दशक में भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापक और पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है।
  - इस समझौते में **वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, रूल्स ऑफ़ ऑरिजिन (ROOs), टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू ट्रेड (TBT), सैनिटरी एंड फाईटोसैनिटरी (SPS) उपाय, विवाद समाधान,** आदि शामिल होंगे।
- **इस समझौते (CEPA) का महत्व:**
  - इसके तहत सेवा व्यापार (ट्रेड इन सर्विसेज) को भी शामिल किया जाएगा। इससे भारत को **संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार पहुंच (Preferential Market Access) का लाभ** मिलेगा।
  - भारतीय निर्यातकों को UAE के माध्यम से पश्चिम एशियाई देशों, अफ्रीका आदि तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
    - UAE, संपूर्ण अफ्रीका और विश्व के कई अन्य हिस्सों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है।
  - दोनों देशों के बीच अगले **पांच वर्षों में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।** वित्त वर्ष 2021 में यह 43 बिलियन डॉलर के आसपास था।
- **भारत–UAE संबंध:**
  - चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद UAE, **भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (2019–20) देश है।** साथ ही, UAE भारतीय वस्तुओं के लिए **दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है।**
  - **डेजर्ट ईगल** जैसे नियमित सैन्य अभ्यासों के माध्यम से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देश समुद्री सुरक्षा के मामले में भी आपसी सहयोग कर रहे हैं।
  - **UAE में भारतीय प्रवासियों की संख्या (35 लाख के आसपास) सबसे अधिक है।** इसके चलते UAE से भारत को बहुत अधिक रेमिटेंस (वर्ष 2019 में 17.06 बिलियन डॉलर) प्राप्त होता है।
    - विदेशों में कार्यरत प्रवासी या कामगार जैसे कि साधारण मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि जब अपने देश में अपने माता–पिता या परिवार को धनराशि भेजते हैं तो उसे **रेमिटेंस (यानी धन प्रेषण)** कहते हैं।
  - **भारत–UAE अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग** कर रहे हैं। कुछ समय पहले **इसरो** ने UAE के पहले नैनोसैटेलाइट को लॉन्च किया था। इस नैनोसैटेलाइट का नाम **नयिफ–1 (Nayif–1) था।**

व्यापार समझौतों के अलग–अलग प्रकार

- **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA):** यह दो या दो से अधिक देशों के बीच संपन्न होने वाला एक व्यापारिक समझौता है। इसके तहत भागीदार देश एक–दूसरे को तरजीही व्यापार शर्तों (preferential trade terms) पर द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति देते हैं। साथ ही, FTA में टैरिफ या प्रशुल्क संबंधी रियायतें आदि भी प्रदान की जाती हैं।
  - इस प्रकार के समझौतों में उत्पादों और सेवाओं की एक **नकारात्मक सूची तैयार की जाती है।** इस सूची में शामिल उत्पादों और सेवाओं पर FTA की शर्तें लागू नहीं होती हैं।
  - यह तरजीही व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement: PTA) की तुलना में अधिक व्यापक होता है। दूसरे शब्दों में, FTA को PTA का अगला चरण माना जाता है।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA)** और व्यापक आर्थिक **भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA):** ये दोनों FTA की तुलना में अधिक व्यापक होते हैं। दूसरे शब्दों में, इन दोनों को FTA का अगला चरण माना जाता है।
  - CECA में आम तौर पर **केवल व्यापार प्रशुल्क और टैरिफ कोटा दरों पर समझौतों को शामिल किया जाता है।** यह CEPA की तुलना में कम व्यापक होता है। दूसरे शब्दों में, CEPA को CECA का अगला चरण माना जाता है।
  - CEPA के तहत **सेवा व्यापार और निवेश पर समझौतों को शामिल किया जाता है।** इसमें आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्र जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन या व्यापार संबंधी सहूलियत, सीमा शुल्क सहयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि भी शामिल होते हैं।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार या मूल्य तकरीबन 36,795 करोड़ रुपये है

- भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने का अपनी तरह का पहला अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन **सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (CDS) तथा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST)** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- **इसके तहत उजागर किए गए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - इस उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रमुख हिस्सेदारी **स्पेस एप्लीकेशन्स** की है। वर्ष 2020–21 में इसकी हिस्सेदारी 73.57% थी। इसके बाद अंतरिक्ष अभियान (22.31%) और विनिर्माण (4.12%) का स्थान है।
  - **GDP के प्रतिशत के रूप में** भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2011–12 में 0.26% था, **जो घटकर वर्ष 2020–21 में 0.19% हो गया।**
  - GDP के संबंध में, **वैश्विक स्तर पर भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का हिस्सा केवल 2% है।**
  - GDP के संबंध में, भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन, जर्मनी, इटली और जापान से अधिक, लेकिन **संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से कम खर्च किया जाता है।**
- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था:** इसके तहत अंतरिक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण और मानव के लिए लाभप्रद व्यापक गतिविधियों और अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग को शामिल किया जाता है। **इनमें शामिल हैं–** अंतरिक्ष का अन्वेषण करना, अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान करना, अंतरिक्ष से संबंधित समझ को बेहतर बनाना; अंतरिक्ष संसाधनों का प्रबंधन और उसका उपयोग करना आदि।
- **भारत द्वारा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:**
  - **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorization Centre: IN–SPACe):** यह अंतरिक्ष विभाग के तहत गठित एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। इसका कार्य अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रदान करना है।
  - **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** इसकी स्थापना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती मांगों को पूरा करने और उभरते वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने के उद्देश्य से की गयी है।
  - हाल ही में, पारंपरिक **उपग्रह संचार और सुदूर संवेदन क्षेत्रों** को उदार बनाने के लिए क्रमशः **स्पेसकॉम और स्पेस आर.एस. नीतियों** का मसौदा जारी किया गया है।
  - अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित दो स्टार्ट–अप्स **अग्निकुल** और **स्काईरूट** की स्थापना की गयी है। इनके साथ **अंतरिक्ष विभाग** ने एक फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत इन्हें स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की उप–प्रणाली और प्रणाली के विकास एवं टेस्टिंग के लिए इसरो की सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुँच प्रदान की जाएगी।

भारत 'वेब–3' (Web3) का हब बनने की ओर बढ़ रहा है

- हाल के रुझानों के अनुसार, यह कहा जा रहा है कि भारत के उद्यमियों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टार्ट–अप्स द्वारा **Web3 के लिए वैश्विक ऐप और प्लेटफॉर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी।** ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में इनके द्वारा काफी संख्या में नई भर्तियाँ की गयी हैं।
  - इसके अलावा, भारत में Web3 से संबंधित अत्यधिक स्टार्ट–अप्स और डेवलपर्स मौजूद हैं। साथ ही, भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपभोक्ता बाजारों में से भी एक है। इस प्रकार, भारत, **Web3 के संबंध में लाभप्रद स्थिति में है।**
- Web3, या Web 3.0, इंटरनेट की **तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व** करता है। इसके तहत वेब का **विकेंद्रीकृत संस्करण (decentralized version) बनाने के लिए ब्लॉकचेन–आधारित तकनीकों** का उपयोग किया जाता है।
- **Web3 के लाभ:**
  - इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति एकल–बिंदु वाले वेब की विफलता से जुड़ी समस्या का समाधान करती है। इस प्रकार यह **अधिक विश्वसनीय है।**
  - इसके तहत अब **बड़ी कंपनियाँ** इंटरनेट के किसी भी पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं।
  - इससे अब इंटरनेट के पर्सनलाईजेशन में वृद्धि होगी।
  - यह मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करके **पियर टू पियर (विक्रेता से खरीदार)** लेन–देन को संभव बनाता है। इस प्रकार इसके **तहत बाधा रहित सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।**
  - **यह अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगा। साथ ही,** इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

इंटरनेट उपयोग के तीन चरण

	Web1	Web2	Web2
समय सीमा'	1990–2005	2005 से आज तक	वर्ष 2021 और आगे
डेटा कहाँ भंडारित होता है	सर्वर की फाइल प्रणाली में	ऑन–प्रिमाइसेस / क्लाउड में	ब्लॉकचेन के तहत कई नेटवर्क में वितरित होता है
उदाहरण	स्टेटिक वेब पेज	उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न कंटेंट, जैसे– सोशल मीडिया; और वेब एप्लिकेशन, जैसे– ई–कॉमर्स आदि	NFTs, क्रिप्टोकरेंसी लेन–देन
डेटा का मालिक कौन होता है?	वेबपेज का संचालन करने वाली कंपनियां	एप्लिकेशन होस्ट करने वाली कंपनियां, क्लाउड सेवा प्रदाता	कोई भी डेटा का मालिक नहीं होता है
लेन–देन	इसके तहत कोई लेन–देन संभव नहीं है	इसके तहत भुगतान गेटवे द्वारा मुद्रा संबंधी लेन–देन किया जाता है	इसके तहत क्रिप्टो टोकन का उपयोग कर लेन–देन किया जाता है

- **Web3 के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - मेटाडेटा और डेटा प्राइवेसी पर नियंत्रण हेतु **डेटा संबंधी मानकों का अभाव है।**
  - **इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति से निगरानी और विनियमन संबंधी कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं।** इससे साइबर अपराध, ऑनलाइन दुर्व्यवहार आदि में वृद्धि हो सकती है।
  - क्रिप्टोकरेंसी, नॉन–फंजिबल टोकन (NFTs) आदि के संबंध में **कानूनी स्पष्टता का अभाव बना हुआ है।**
  - एक नए उद्योग के रूप में इसकी वास्तविक मंशा और पूरी क्षमता को समझना भी चुनौती भरा काम है।

अन्य सुर्खियाँ

बुखारेस्ट नाइन {Bucharest Nine (B9)}

- हाल ही में, रूस ने यह दावा किया था कि **नाटो, पूर्व की ओर अपना 'विस्तार'** कर रहा है। हालांकि, बुखारेस्ट नाइन ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है।
- बुखारेस्ट नाइन, **पूर्वी यूरोप में 9 नाटो देशों का एक समूह है।** यह समूह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन (नाटो) का हिस्सा बन गया था।
  - B9 की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका नाम रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पर रखा गया है।
  - B9 के **सभी सदस्य यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)** का हिस्सा हैं।
  - B9 समूह के सदस्य **रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया** तथा तीन बाल्टिक देश **एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया हैं।**

वित्त विधेयक, 2022 (Finance Bill, 2022)

- लोक सभा ने वित्त विधेयक, 2022 को पारित कर दिया है। यह **क्रिप्टो परिसंपत्तियों सहित नए कर ढांचे को प्रभावी बनाता है।**
- **इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह विधेयक **आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (Virtual Digital Assets: VDAs)** को परिभाषित करता है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियों के सभी हस्तांतरणों से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है।
  - **VDA के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को** दूसरे VDA से होने वाली आय या लाभ के साथ **सेट–ऑफ (समायोजित) करने की अनुमति नहीं दी गयी है।** दूसरे शब्दों में, **VDA से होने वाले किसी भी घाटे को लाभ के साथ सेट–ऑफ नहीं किया जा सकेगा।**
  - **अधिभार (surcharge) और उपकर (cess) की कटौती को कम दर्ज की गई आय समझा जाएगा** और उस पर **50 प्रतिशत जुर्माना** लगाया जाएगा।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM–GKAY)

- कैबिनेट ने PM–GKAY को अतिरिक्त 6 माह (अप्रैल–सितंबर, 2022) के लिए विस्तार प्रदान किया है।
- PM–GKAY को **वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020** में शुरू किया गया था। इसे निर्धन लोगों को कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत कवर किए गए लाभार्थियों को **प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क** प्रदान करना है।
  - सभी राशन कार्ड धारक और अंत्योदय अन्न योजना द्वारा चिन्हित लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए **नोडल एजेंसी है।**

सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल (Medium Range Surface to Air Missile: MRSAM)

- DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में MRSAM के इंडियन आर्मी वर्जन का **सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।**
- यह सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसे **भारत और इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय थल सेना के उपयोग के लिए** विकसित किया गया है।
- **MRSAM के बारे में:**
  - यह एक उच्च और त्वरित प्रतिक्रिया वाली तथा लंबवत लॉन्च की जाने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे शत्रु की ओर से हवाई खतरों जैसे– **मिसाइल, विमान, गाइडेड बम, हेलीकॉप्टर आदि को निष्क्रिय करने के लिए** डिज़ाइन किया गया है।
  - इसके विभिन्न संस्करणों का उपयोग **थल सेना, नौसेना** (वर्ष 2019 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया) और **वायु सेना** (वर्ष 2021 में शामिल) द्वारा किया जाता है।

 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Center: ICCC)	❍ ICCC वस्तुतः **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे हाल ही में चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। ❍ **ICCC, संचालन प्रबंधन, डे टू डे एक्सेप्शन हैंडलिंग और आपदा प्रबंधन के लिए "प्रमुख केंद्र" के रूप में कार्य करता है।** ➢ **स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 नागरिक–अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी बस्तियों के विकास का प्रावधान किया गया है।** इसमें एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रत्येक शहर के लिए ICCC को स्थापित किया जाना शामिल है। ❍ इसकी एक अनूठी विशेषता **रियल टाइम डेटा विजुअलाइज़ेशन है,** जिसका विश्लेषण प्रशासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए– **किसी क्षेत्र में किसी विशेष रोग के प्रसार के संदर्भ में।**
 अर्थ आवर (Earth Hour)	❍ अर्थ आवर का आयोजन **"विश्व वन्यजीव कोष (WWF)"** द्वारा किया जाता है। ❍ इसे प्रतिवर्ष **26 मार्च** को विश्व स्तर पर आयोजित किया जाता है। अर्थ आवर के लिए इस वर्ष का थीम **"शेप अवर फ्यूचर"** था। ❍ यह व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और व्यवसायों को पृथ्वी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक घंटे के लिए **अपनी गैर–जरूरी लाइट्स को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है।** ❍ WWF एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन** है। इसकी स्थापना **वर्ष 1961 में हुई** थी और इसका मुख्यालय **स्विट्जरलैंड के ग्लैंड** में स्थित है।
 अंतः सहजीविता (Endosymbiosis)	❍ माइटोकॉन्ड्रिया (और क्लोरोप्लास्ट) की उत्पत्ति के लिए **एंडोसिम्बायोटिक परिकल्पना** से ज्ञात होता है कि **माइटोकॉन्ड्रिया विशेष बैक्टीरिया** (संभवतः पर्पल नॉन–सल्फर बैक्टीरिया) का वंशज है। ❍ एंडोसिम्बायोसिस सहजीवन का एक प्रबल रूप है, जिसमें **दो जीवों में से एक को दूसरे द्वारा कैद कर आंतरिकृत (Internalized)** किया जाता है। ❍ माइटोकॉन्ड्रिया को **कोशिका का पावर हाउस** कहा जाता है, क्योंकि वे कोशिका के भीतर एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जो इसे शक्ति प्रदान करते हैं।
 बामियान बुद्ध (Bamiyan Buddhas)	❍ तालिबान, चीन से निवेश प्राप्त करने की आशा में **बामियान बुद्ध** प्रतिमाओं का संरक्षण कर रहा है। ❍ **बामियान बुद्ध के बारे में:** ➢ ये प्रतिमाएं/मूर्तियां अफगानिस्तान की मध्य उच्च भूमि में हिंदू कुश में स्थित हैं। ➢ बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं **5वीं शताब्दी ईस्वी की हैं।** यहाँ बलुआ पत्थर की एक प्राचीन प्रतिमा को कभी विश्व भर में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता था। ➢ इन प्रतिमाओं को स्थानीय रूप से **'सलसल' और 'शामामा'** के नाम से जाना जाता था। ➢ ये **गुप्त, ससानी और यूनानी** कलात्मक शैलियों के संगम का महान उदाहरण थीं। ➢ **वर्ष 2001 में तालिबान ने दोनों प्रतिमाओं को नष्ट करना शुरू किया था।** ➢ इसके बाद, **यूनेस्को ने वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में** इन अवशेषों को शामिल किया।
 बैंगलोर रोज प्याज (Bangalore Rose Onion)	❍ बैंगलोर रोज प्याज को **वर्ष 2015 में भौगोलिक संकेतक (GI टैग) का दर्जा** प्राप्त हुआ था। ❍ यह प्याज की एक अनूठी किस्म है जो **केवल बैंगलोर (कर्नाटक) और उसके आसपास पाई जाती है।** ❍ इसे **गुलाबी एरुल्ली** के नाम से भी जाना जाता है। ❍ यह चपटे आधार, गोल आकार तथा गहरे लाल रंग वाला और तीखापन से भरा होता है। इसमें फिनोल और एंथोसायनिन पाया जाता है। ❍ इसमें **प्रोटीन, फॉस्फोरस, आयरन और कैरोटीन** का उच्च स्तर पाया जाता है। ❍ यह **दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लोकप्रिय है,** जहां इसका उपयोग मसालेदार प्याज (प्याज का अचार) बनाने के लिए किया जाता है। इसे निर्जलीकृत करके प्याज पाउडर भी बनाया जाता है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी